



## INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

### प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति अध्यापकों एवं अभिभावकों की अभिवृत्तियों का अध्ययन

राधा रानी सिंह

असिस्टेन्ट प्रोफेसर

शिक्षाशास्त्र विभाग

आर्य कन्या डिग्री कालेज,

इलाहाबाद।

#### सारांश

प्रस्तुत अध्ययन “प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति अध्यापकों एवं अभिभावकों की अभिवृत्तियों का अध्ययन” है। अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है। न्यादर्श के चुनाव हेतु गुच्छ न्यादर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। जिसमें इलाहाबाद जनपद में स्थित प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में अध्यापनरत् 100 शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं अध्ययनरत् विद्यार्थियों के 100 अभिभावकों का चयन किया गया है। उपकरण के रूप में अध्यापकों एवं अभिभावकों की प्रतिक्रिया को जानने हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली प्रपत्र का प्रयोग किया है। आँकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए टी-अनुपात सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष के रूप में प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति पुरुष एवं महिला अध्यापकों की अभिवृत्तियों में अन्तर नहीं है अर्थात् पुरुष एवं महिला अध्यापकों की सर्वशिक्षा अभियान के प्रति अभिवृत्ति में समानता पायी गयी। प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति पुरुष एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्तियों में अन्तर नहीं है अर्थात् पुरुष एवं महिला अभिभावकों की सर्वशिक्षा अभियान के प्रति अभिवृत्ति में समानता पायी गयी।

**की-वर्ड :** प्राथमिक विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, अभिभावक, अध्यापक, अभिवृत्ति

वास्तव में प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक की न्यूनतम आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षा के महत्व को के0जी सैय्यदेन ने इस प्रकार व्यक्त किया है—“प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध देश की समस्त जनता से है। यह हर बिन्दु पर जीवन का स्पर्श करती है।”

भारतवर्ष ने अपने संविधान में 6-14 वर्ष तक के सभी बालक- बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार व स्तरोन्नयन हेतु विविध प्रयास किए गये। इसी का परिणाम है कि विगत 70 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। जब हम आज की स्थिति की तुलना स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से करते हैं तब यह तथ्य और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। हमें जो शिक्षा व्यवस्था विरासत में

मिली थी उसका राष्ट्रीय आवश्यकताओं व आकांक्षाओं से कोई सम्बन्ध नहीं था। उस समय देश की जनसंख्या का केवल 14 प्रतिशत हिस्सा ही साक्षर था। उसमें भी तीन बच्चों में से मात्र एक बच्चा ही स्कूल में नामांकित था।

21वीं सदी में यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का अनिवार्य पक्ष है। अतः राष्ट्रीय विकास की कार्यसूची में शैक्षणिक सुधार को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। स्वतंत्र भारत में इस मंतव्य को गहराई से स्वीकार किया गया। यहाँ तक कि प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 में जो कि नीति निर्देशक तत्व के अन्तर्गत आता है, यह निर्धारित किया गया था कि राज्य 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य वंचित समूहों अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के विशेष शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संवर्द्धन करेगा और सामाजिक न्याय एवं हर प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। सरकार की इन्हीं सद्‌इच्छाओं व भागीरथ प्रयासों के चलते देश की साक्षरता दर सन् 1951 के 18.33 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 74.04 प्रतिशत हो गई।

21वीं शताब्दी में भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु सरकार द्वारा कई नीतियों का निर्माण किया गया है जिसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, मॉडल स्कूल स्कीम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, साक्षर भारत/प्रौढ़ शिक्षा, समेकित शिक्षा कार्यक्रम, बालिका शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा का अधिकार आदि सरकारी नीतियों का निर्माण कर प्राथमिक शिक्षा का नये लक्ष्य की तरफ अग्रसर किया जिससे भारत में "सभी पढ़े-सभी बढ़े" का नारा सच हो सकें।

सर्व शिक्षा अभियान (एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेन्ट), भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिककरण को प्राप्त करने के लिए किया गया। जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है जिसके तहत 6-14 वर्ष के बच्चों (2001 में 205 मिलियन अनुमानित) की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को "मौलिक अधिकार" बनाया गया।

#### सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य निम्नवत है:-

- समस्त बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन कराना।
- नामांकित समस्त बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना।
- समस्त बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना।
- सभी बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा पूर्ण कराना।
- सभी बच्चों का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना एवं जेण्डर गैप को समाप्त करना।

कुछ शोध द्वारा इंगित होता है कि सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा बच्चों के अवरोधन एवं अपव्यय को रोकने का प्रयास किया जा रहा है **यादव, राजेश कुमार (2011)<sup>1</sup>** ने निष्कर्ष में पाया कि सरकार द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्व शिक्षा के अन्तर्गत के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है सरकार द्वारा किये गये प्रयासों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों/छात्राओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। अभिभावकों, अध्यापकों एवं बच्चों का दृष्टिकोण भी यही कहता है कि उच्च प्राथमिक पर सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा सार्थक प्रयास किया गया है। **कुमार, पार्थिव (2013)<sup>2</sup>** ने निष्कर्ष में कहा है कि शिक्षा के प्रसार के लिए भौतिक संसाधनों को जुटाना बहुत अहमियत रखता है। लेकिन इससे भी जरूरी है कि शिक्षा के सही मायनों की तलाश। यह काम सरकारी, गैर सरकारी और निजी संस्थानों के आपसी सहयोग से ही मुमकिन है। सबको मिलकर ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे ऋतु जैसे बच्चे पढ़े-लिखे और समाज में सिर ऊँचा करके जी सकें। **कटोच, कुलदीप सिंह एवं कुमार, सुनील (2014)<sup>3</sup>** ने निष्कर्ष में पाया गया कि प्राथमिक स्तर पर 6-14 वर्ष के बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति बेहतर है। हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा समिति ने जिला प्राथमिक शिक्षा अभियान को राज्य में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को बेहतर तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी सौपी है। **जोशी, विजय एवं मोहररि, किशोर<sup>4</sup>** ने अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि- नागपुर जिले के कक्षा-3 के बच्चों में एक सुखद परिवर्तन देखने को मिला। **मण्डल, प्रहलाद एवं पाल, प्रभात कुमार (2016)<sup>5</sup>** के अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि कृषि कार्य से जुड़े व्यवसाय के बच्चों का नामांकन दूसरे व्यवसाय वर्ग के बच्चों की तुलना में कम है। कृषि समाज में शैक्षिक कार्य छोड़ने की प्रवृत्ति भी ज्यादा है। अध्ययन से यह भी

पता चता है कि लड़कियों में लड़कों की तुलना में अवरोधन अधिक है। जैन, साक्षी एवं मित्तल मिनाक्षी (2011)<sup>6</sup> के अध्ययन से पता चलता है कि कमियों के बावजूद भी सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम बच्चों के वापसी में सफल रहा है। कुछ क्षेत्रों में शिक्षक अधिगम सामग्री के सहयोग से विशेष देखभाल की जरूरत है।

प्राथमिक शिक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। फिर भी ऐसी परिस्थिति में अन्य विकासशील देशों की तुलना में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएं विद्यमान हैं। जिसमें अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या भी एक गंभीर समस्या है। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करते समय आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर ध्यान नहीं दिया गया अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में बैठने के लिए टाटपट्टी, पीने के लिए पानी, भवन, श्यामपट्ट, शैक्षिक उपकरण, खेल का मैदान जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। चतुर्थ अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि लगभग 9% प्राथमिक विद्यालयों में भवन नहीं थे। स्कूल भवन के अभाव में इन विद्यालयों में अन्य सुविधाओं के होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता 41.5% प्राथमिक विद्यालयों में श्यामपट्ट नहीं थे। 72% स्कूलों में पुस्तकालय का अत्यन्त अभाव था। ग्रामीण क्षेत्रों के 89% स्कूलों में मूत्रालय / शौचालय जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव था। इन समस्याओं को देखते हुए अध्यापकों एवं अभिभावकों की अभिवृत्ति को देखने का प्रयास किया गया है।

### समस्या कथन—

**“प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति अध्यापकों एवं अभिभावकों की अभिवृत्तियों का अध्ययन।”**

#### अध्ययन का उद्देश्य—

1. प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति पुरुष एवं महिला अध्यापकों की अभिवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति पुरुष एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

#### परिकल्पनाएँ—

उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है—

1. प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति पुरुष एवं महिला अध्यापकों की अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति पुरुष एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

#### शोध प्रविधि—

अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है। न्यादर्श के चुनाव हेतु गुच्छ न्यादर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। जिसमें इलाहाबाद जनपद में स्थित प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में अध्यापनरत् 100 शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं अध्ययनरत् विद्यार्थियों के 100 अभिभावकों का चयन किया गया है। उपकरण के रूप में अध्यापकों एवं अभिभावकों की प्रतिक्रिया को जानने हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली प्रपत्र का प्रयोग किया है। आँकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए टी-अनुपात सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया गया है।

## आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या—

उद्देश्य—1 प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति पुरुष एवं महिला अध्यापकों की अभिवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

H<sub>01</sub> प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति पुरुष एवं महिला अध्यापकों की अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

### तालिका संख्या—1

प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति पुरुष एवं महिला अध्यापकों की अभिवृत्तियों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-परीक्षण

क्र. सं.	समूह	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	मध्यमानों का अन्तर (M <sub>1</sub> ~M <sub>2</sub> )	मानक त्रुटि (SE <sub>D</sub> )	टी- मान (t-test)
1	पुरुष अध्यापक	25	116.96	8.35	3.60	2.27	1.59*
2	महिला अध्यापक	25	113.36	7.31			

\*.05 सार्थकता स्तर पर असार्थक

तालिका संख्या 1 से स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति पुरुष एवं महिला अध्यापकों की अभिवृत्तियों का टी-मान 1.59 है जो कि .05 सार्थकता स्तर पर स्वायत्तता अंश ∞ के लिए दिये गये सारणी मान 2.01 से कम है अतः मध्यमान का अन्तर उक्त सार्थकता स्तर पर असार्थक है और शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति पुरुष एवं महिला अध्यापकों की अभिवृत्तियों में अन्तर नहीं है अर्थात् पुरुष एवं महिला अध्यापकों की सर्वशिक्षा अभियान के प्रति अभिवृत्ति में समानता पायी गयी।

उद्देश्य—2 प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति पुरुष एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

H<sub>02</sub> प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति पुरुष एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

### तालिका संख्या—2

प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति पुरुष एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्तियों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-परीक्षण

क्र. सं.	समूह	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	मध्यमानों का अन्तर (M <sub>1</sub> ~M <sub>2</sub> )	मानक त्रुटि (SE <sub>D</sub> )	टी- मान (t-test)
1	पुरुष अभिभावक	25	110.16	8.64	0.68	2.37	0.285*
2	महिला अभिभावक	25	110.84	7.81			

\*.05 सार्थकता स्तर पर असार्थक

तालिका संख्या 2 से स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति पुरुष एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्तियों का टी-मान 0.285 है जो कि .05 सार्थकता स्तर पर स्वायत्तता अंश ∞ के लिए दिये गये सारणी मान 2.01 से कम है अतः मध्यमान का अन्तर उक्त सार्थकता स्तर पर असार्थक है और शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति पुरुष एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्तियों में अन्तर नहीं है अर्थात् पुरुष एवं महिला अभिभावकों की सर्वशिक्षा अभियान के प्रति अभिवृत्ति में समानता पायी गयी।

**निष्कर्ष—**

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये—

- प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति पुरुष एवं महिला अध्यापकों की अभिवृत्तियों में अन्तर नहीं है अर्थात् पुरुष एवं महिला अध्यापकों की सर्वशिक्षा अभियान के प्रति अभिवृत्ति में समानता पायी गयी।
- प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति पुरुष एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्तियों में अन्तर नहीं है अर्थात् पुरुष एवं महिला अभिभावकों की सर्वशिक्षा अभियान के प्रति अभिवृत्ति में समानता पायी गयी।

**सुझाव—**

यह अध्ययन प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्यरत उन सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के लिए उपयोगी है जो समाज में प्राथमिक शिक्षा का स्तर सुधारना चाहती है। इसके अतिरिक्त यह भी शैक्षिक निहितार्थ प्राप्त होता है कि आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके एवं बच्चों तथा अभिभावकों को उसके प्रति आकर्षित करके प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सकता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान अभिभावकों, शिक्षकों तथा नीति निर्माताओं के लिए भी उपयोगी है। क्योंकि जब तक ये सभी मिलकर कार्य नहीं करेंगे तब तक आगामी पीढ़ी के शैक्षिक स्तर को सुधारा नहीं जा सकता। जिससे उनका समुचित विकास सम्भव नहीं हो सकता। अतः अध्यापकों का यह कर्तव्य बनता है कि वे अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें। इससे समाज को सही दिशा मिल सकेगी।

**सन्दर्भ सूची—**

- 1 यादव, राजेश कुमार (2011). उच्च प्राथमिक स्तर पर 'सर्व शिक्षा अभियान' के क्रियान्वयन का समीक्षात्मक अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध, डॉ० राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
- 2 कुरुक्षेत्र, 2013
- 3 कटोच, कुलदीप सिंह एवं कुमार, सुनील (2014). सर्व शिक्षा अभियान इन मण्डी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश : एक अध्ययन, *स्कूलरली रिसर्च जर्नल फॉर ह्युमिनिटी साइन्स एण्ड इंग्लिश लैंग्वेज*, वाल्यूम-1, इश्यू-V, अगस्त-सितम्बर 2014, पृ० 706-717
- 4 जोशी, विजय एवं मोहररि, किशोर, एन इम्पीरिकल स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान ऑन द सब्जेक्ट परफार्मेंस इन रूरल एण्ड अर्बन स्कूल्स, ए क्रिटिकल इवैल्युवेन्स फार्म बेस लाइन एसेसमेन्ट टू मीडटर्म एसेसमेन्ट इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट, *नेशनल मन्थली रिफ्रिरीड जर्नल ऑफ रिसर्च इन कार्मस एण्ड मैनेजमेन्ट*, वाल्यूम-2, इश्यू-8, पृ० 71-81
- 5 मण्डल, प्रहलाद एवं पाल प्रभात कुमार (2016). एजुकेशनल इम्पैक्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इन रिसपेक्ट ऑफ एक्सेस टू एण्ड रिटेन्शन्स इन फार्मल एजुकेशन : ए कम्परेटिव स्टडी बिट्विन एग्रो आक्यूपेशनल एण्ड नॉन एग्रो आक्यूपेशनल गुप्स इन ट्रेडिशनल रूरल कम्प्युनिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, इण्डिया, *इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव रिसर्च एण्ड रिव्यू*, वाल्यूम-4(1), जनवरी-मार्च, पृ० 1-7
- 6 जैन, साक्षी एवं मित्तल, मिनाक्षी (2011). एसेसमेन्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इन सर्वोदय स्कूल्स ऑफ देहली, *जर्नल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, इण्डियन एजुकेशनल रिव्यू*, वाल्यूम-49, नं० 2, पृ० 15-29